कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2022 / 505 दिनांक :: 06 दिसम्बर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 को प्रातः 10.30 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देश / आदेश का विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रथम सत्र समय प्रातः 10.30 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे

प्रथम सत्र में आयुक्त महोदय, सचिव, निदेशक–आयोजना, निदेशक–विधि एवं उपायुक्तगण उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिन्दु अनुसार समीक्षा की जाकर निम्नलिखित अनुसार निर्देश / आदेश प्रदान कियेः–

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षाः–

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जोनवार प्रशासन शहरों के संग अभियान में किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गयेः–

1– माह दिसम्बर, 2022 में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा 9000 पट्टे वितरित / जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

लक्ष्य	जोन–1	जोन–2	जोन–3	जोन–4	जोन–5	जोन–6	विवेक विहार योजना	कुल
पट्टे जारी करना	1500	1500	2000	1500	1500	1500	500	9000

2– उपायुक्त स्वयं अपने क्षैत्राधिकार में जाकर प्रत्येक कॉलोनी का मौका निरीक्षण करें तथा उनके क्षैत्र में ऐसे कॉलोनियां जिनमें प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी किये जा सकते है, ऐसी कॉलोनियों का चिन्हीकरण कर उक्त कॉलोनियों का सर्वे करवाने हेतु आदेश जारी करने की कार्यवाही करें। सर्वे एजेन्सी से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उक्त सर्वे का भौतिक सत्यापन करवाये। उक्त भौतिक सत्यापन पटवारी / भू–राजस्व निरीक्षक के साथ साथ संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से करवाया जाये। इस हेतु प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा संबंधित जोन में उक्त कार्य करने हेतु दो–दो कनिष्ठ अभियन्ता को सक्षम स्तर से आदेशित कराने की कार्यवाही करें। आयुक्त महोदय को सर्वे एजेन्सी के साथ बैठक कर सर्वे के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया।

3– संबंधित जोन उपायुक्त इस कार्य में गति लायें। मौके पर निवास करने वाले भूखण्डधारी को उनके द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना मौके पर जाकर बातचीत के माध्यम से दें तथा उनको पट्टा लेने हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही करें। इस हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रत्येक उपायुक्त एवं निदेशक–आयोजना को बैटरी से चलने

वाला छोटा लाउडस्पीकर (मेघा फोन) उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये तथा मौके पर आवेदन–पत्र वितरित करवाने की कार्यवाही की जावे।

3– प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वारा अब तक कितने ले–आऊट प्लान आयोजना शाखा को प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने ले–आऊट प्लान पारित किये जा चुके है तथा उन ले–आऊट प्लान में कितने भूखण्ड़ अवस्थित है, की सूचना आयोजना शाखा द्वारा उपलब्ध करवायी जावे।

4– आगामी शनिवार एवं रविवार (दिनांक 3 व 4 दिसम्बर, 2022) को नियमित कार्य दिवसों की भांति कार्यालय खोला जाकर प्राधिकरण कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की जावे जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त आदेश/निर्देशों की जानकारी उपायुक्त/तहसीलदार एवं संबंधित कार्मिकों को दी जावे।

5– प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक जोन की जोनल लेवल कमेटी की बैठकें आयोजित की जावे तथा इनका कार्यवाही विवरण उसी दिन जारी किये जावे।

6– उपायुक्त द्वारा 90–ए/बी की पत्रावलियां संपूर्ण रिपोर्ट/दस्तावेजों के साथ आयोजना शाखा में जोनल लेवल कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जावे तथा उक्त पत्रावली में एच.टी. लाईन एवं अन्य विवरणों का उल्लेख जोनल लेवल कमेटी की बैठक से पूर्व अंकित करके ही पत्रावली भिजवायी जावे।

7– 60 प्रतिशत से ज्यादा बसावट वाली कॉलोनियों की संख्या संबंधित जोन उपायुक्त आज सायंकाल तक प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

8– बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जोन–1 की दो पत्रावलियां (प्रकरण संख्या गार्ड पत्रावली खसरा संख्या 191/2 ग्राम खोखरिया एवं प्रकरण संख्या 2063/2022 इन्द्रा कंवर पत्नि श्री भॅवर सिंह प्लाट संख्या 112 खसरा संख्या 790 ग्राम झालामण्ड) मंगवायी जाकर अवलोकन किया। उक्त पत्रावलियों में काफी लम्बे समय बाद पटवारी की रिपोर्ट अंकित की गयी है। प्रकरण संख्या गार्ड पत्रावली खसरा संख्या 191/2 ग्राम खोखरिया में 8 माह देरी से तथा प्रकरण संख्या 2063/2022 में एक माह 10 दिवस देरी से) जो कि उचित नहीं हैं। भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं हो इसलिए अध्यक्ष महोदय द्वारा 90–बी/ए एवं ले–आऊट स्वीकृति के प्रकरण में विभिन्न शाखा/अधिकारी/कार्मिकों द्वारा रिपोर्ट किये जाने की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की:–

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी/शाखा/ कार्मिक जिनके द्वारा रिपोर्ट की जानी है	निर्धारित समयावधि
1–	पटवारी प्राधिकरण	3 दिवस
2–	राजस्व तहसीलदार	3 दिवस
3–	विधि शाखा	1 दिवस
4–	आयोजना शाखा	1 दिवस

11– यू–2 के अधीन विभिन्न खसरों में बसी घनी आबादी के खसरों को सम्मिलित करते हुए 10 हैक्टेयर से अधिक में बसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर पट्टे जारी किये जा सकते हैं। इस संबंध में विभागीय निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(2) लाईट्स प्रकरणों की स्थितिः–

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभारी अधिकारियों को लम्बित जवाब दावे शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

(3) एम.ओ.यू. प्रकरणों की नवीनतम स्थितिः–

निदेशक–आयोजना द्वारा एम.ओ.यू. प्रकरणों की स्थिति प्रस्तुत की। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर राज्य सरकार को प्रेषित रिपोर्ट के संबंध में संतोष व्यक्त किया।

(4) सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षाः–

बैठक में अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने हेतु आदेशित किया।

(5) प्राधिकरण की बैठकों में लिये गये निर्णयों की समीक्षाः–

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण बैठक में लिये गये निर्णयों पर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई अनुपालना पर संतोष व्यक्त किया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2022 /

दिनांक :: 01 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– निदेशक–अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि / वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– उपायुक्त–1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6,, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4– उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5– तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6– तहसीलदार–जोधपुर / लूणी / झंवर / ....
6– संबंधित ....जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जय नारायण मीणा)
सचिव